न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

R 5148-III/16 जिला रीवा म0प्र0 (107)

Rs 30/-

1- रामविश्वास मिश्रा तनय स्व0 श्री दशरथ प्रसाद मिश्रा उम्र 65 साल

2- श्री मती शशिप्रभा मिश्रा पत्नी श्री रामविश्वास मिश्रा उम्र 62 साल

3- रामबहोर मिश्रा तनय स्व0 श्री पारसनाथ मिश्रा उम्र 50 साल

सभी निवासी ग्राम नवागांव तहसील हुजूर जिला रीवाम0प्र0

... निगरानी कर्ता गण

बनाम

कमलभान आदिवासी तनय श्री खिलाडी कोल उम्र 60 साल पेशा-मजदूरी निवासी ग्राम नवागांव तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

... गैर निगरानी कर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर रीवा जिला रीवाम0प्र0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.4.14 मे पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी।

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 50 भ.रा.सं.सं संहिता 1959 ई.

श्री विनोद तिवारी द्वारा आज दिनांक 10.3.16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त मे आधार इस प्रकार है

1- यहकि गैर निगरानी कर्ता के द्वारा श्री मान् जिलाध्यक्ष महोदय रीवा म0प्र0 द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील हुजूर के समक्ष भूमि खसरा क्रमाक - 736, 737, 738 स्थित ग्राम नवागांव तहसील हुजूर पटवारी हल्का सगरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5148–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 6–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश में तहसीलदार ने आवेदक आपत्तिकर्ता की आपत्ति की प्रति अनावेदक को प्रदान किये जाने के निर्देश दिये है अन्यथा आपत्ति निरस्त मानी जायेगी संबंधी निर्देश दिये हैं। यदि कोई आपत्तिकर्ता कोई आपत्ति प्रकरण में प्रस्तुत करता है तब उसे जबाब देने वाले पक्षकार को उसकी प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश देने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	